



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

फाइल क्रमांक -९-१८(१)/२०२१- अ.प्रा./ २७२

०२.०७.२०२१

**परिपत्र संख्या - १८/ अ.प्रा.-२०२०-२०२१**

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय को राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रसार हेतु हर वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई, और अक्टूबर महीने में तिमाही रिपोर्ट राजभाषा विभाग को भेजना अनिवार्य है। ये रिपोर्ट सुनिश्चित संलग्न प्रफोर्मा में दिया गया है। आपसे ये अनुरोध किया जाता है कि आप के विभाग और स्कूल में की गई सभी गतिविधियों का ब्यौरा उपरोक्त महीने की दिनांक १९ तक निश्चित प्रफोर्मा में तिमाही रिपोर्ट अवश्य भेज दें ताकि राजभाषा विभाग को भेजा जा सके।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

H. H. MEHRA  
05.7.2021  
कुलसचिव

**प्रतिलिपि:**

१. सभी संस्थानों के अधिष्ठाता (ई-मेल के माध्यम से)
२. अध्यक्ष और समन्वयक (ई-मेल के माध्यम से)
३. उप कुलसचिव (अकादमिक)/(प्रशासन)
४. कुलपति सचिवालय
५. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ -आईसीटी
६. परिपत्र फाइल
७. फाइल क्रमांक -९-१८/२००९- अ.प्रा.(अंश-२)
८. गार्ड फाइल

सेक्टर-२९, गांधीनगर-३८२०३०, फोन नं - ०७९२३९७४०७, फेक्स-०७९२३२६००७६

Sector-29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076

Email: [registrar@cug.ac.in](mailto:registrar@cug.ac.in), website: [www.cug.ac.in](http://www.cug.ac.in)